भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/ 409 दिनांक : 2-4-19

परिपत्र

विषय : न्यूरो आईसीयू के पैकेजेज के साथ आईसीयू/जनरल वार्ड का पैकेज लेने के क्रम में।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत न्यूरो आईसीयू का पैकेज कोड संख्या 29060066 है तथा इसकी दर रूपये 8,000/– प्रतिदिन है। इस पैकेज के साथ अभी तक जनरल वार्ड अथवा आईसीयू का पैकज नही ले सकते थे।

न्यूरो आईसीयू के मरीज को स्टेबल होने के पश्चात ऑबजरवेशन के लिए जनरल वार्ड तथा आइसीयू में स्थानान्तरण कर दिया जाता है, परन्तु अस्पताल के पास इस पैकेज के साथ जनरल वार्ड/आईसीयू का पैकेज लेने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब न्यूरो आईसीयू में इलाज के पश्चात ऑबजरवेशन हेतु जनरल वार्ड/आईसीयू, जैसी भी मरीज की स्थिति हो, उसमें शिफ्ट किया जा सकता है तथा न्यूरो आईसीयू के पैकेज के साथ ये पैकेज भी लिये जा सकते है। ऐसे प्रकरणों में निम्न बातें विशेष रूप से ध्यान रखी जावें :–

1. जनरल वार्ड/आईसीयू से न्यूरो आईसीयू में स्थानान्तरण करने अथवा न्यूरो आईसीयू से जनरल वार्ड/आईसीयू में शिफ्ट करते समय मरीज की इन्डोर फाईल पर स्थानान्तरण की दिनांक एवं समय तत्काल उसी समय अंकित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बीमा कम्पनी अथवा राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण करने पर यदि मरीज की उपस्थिति अन्यथा वार्ड में पाई जावेगी, तो अस्पताल के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
2. मरीज की प्रतिदिन के ट्रीटमेन्ट चार्ट में आवश्यक रूप से इन्द्राज किया जावे कि इलाज के समय मरीज किस वार्ड में भर्ती है।
3. क्लेम सबमिट करते समय जितने दिन मरीज जिस प्रकार के वार्ड में भर्ती रहा है उसी प्रकार के पैकज उतने ही दिनों के लिए चुनकर क्लेम सबमिट किया जावें।

(डा. खुशाल यादव)
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांकः एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/ 409 दिनांक : 2-4-19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
3. निजी सचिव अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
4. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, समस्त।
7. संभागीय सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (समस्त संभाग)।
8. संभागीय उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (समस्त संभाग)।

9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (प.क)
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम/एनयूएचएम समस्त जिले।
12. सभी योजना से सम्बद्ध निजी एवं सरकारी अस्पताल।
13. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल कराने हेतु एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(डा. खुशाल यादव)
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी